भारत सरकारपर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 37**

17.07.2017 को उत्‍तर के लिए

**केन्‍द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निरीक्षण संबंधी विशेषज्ञता का उन्‍नयन**

**37. श्री वि.विजयसाई रेड्डी:**

 क्‍या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

1. क्‍या यह मांग की जा रही है कि केन्‍द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदूषण को नियंत्रित करने के संबंध में मौके पर निरीक्षण करने के मामले में विशेषज्ञता के अपने स्‍तर का उन्‍नयन करे;
2. क्‍या यह सच है कि ऐसे निरीक्षकों द्वारा बहुत खराब स्‍तर के प्रतिवेदन प्रस्‍तुत करने संबंधी शिकायतें प्राप्‍त हुई हैं;
3. क्‍या राष्‍ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ऐसे प्रतिवेदनों को बार-बार अस्‍वीकार किया गया है; और
4. केन्‍द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सभी वेबसाइटों पर निरीक्षण प्रतिवेदनों और निरीक्षकों के नाम तुरंत दर्ज करके पारदर्शिता लाने हेतु क्‍या कदम प्रस्‍तावित हैं?

**उत्‍तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री**

**(डॉ. हर्ष वर्धन)**

1. से (ग) मौके पर निरीक्षण सामान्‍यत: राज्‍य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और अन्‍य राज्‍य एजेंसियों द्वारा किए जाते हैं । केन्‍द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा विशिष्‍ट अपेक्षाओं के मामले में मौके पर किए जाने वाले निरीक्षणों के अतिरिक्‍त, राज्‍य स्‍तरीय एजेंसियों के प्रयासों को बढ़ावा देता है । सीपीसीबी को विभिन्‍न सांविधिक निकायों और माननीय न्‍यायालयों से भारी संख्‍या में मामलों में मौके पर निरीक्षण के अनुरोध प्राप्‍त होते रहते हैं जिन्‍हें इसे अपनी विद्यमान तकनीकी जनशक्ति से करना अपेक्षित होता है जिसके फलस्‍वरूप, इसके सुदृढ़ीकरण की मांग होती है । प्रदूषण नियंत्रण संबंधी मौके पर निरीक्षण रिपोर्टों सहित सीपीसीबी की विभिन्‍न रिपोर्टें सक्षम और संबंधित क्षेत्र में प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा तैयार की जाती हैं और सामान्‍यत: इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्‍त नहीं हुई है । तथापि, रिपोर्टों में किसी कमी के बारे में बताए जाने पर इसका संज्ञान लिया जाता है और मुद्दों के समाधान के लिए समुचित उपाय किए जाते हैं । विभिन्‍न आदेशों के अनुपालन में सीपीसीबी द्वारा राष्‍ट्रीय अधिकरण को भारी संख्‍या में रिपोर्टें प्रस्‍तुत की जाती हैं । ऐसे बहुत कम मामले हैं जिनमें माननीय अधिकरण ने कमियों का उल्‍लेख किया है, जिनका सीपीसीबी द्वारा विधिवत निराकरण किया जाता है ।

(घ) सीपीसीबी द्वारा वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों को लगाकर मौके पर निरीक्षण किए जाते हैं। सीपीसीबी की अनेक रिपोर्टें बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जाती हैं । तथापि, अधिकरणों अथवा न्‍यायालयों अथवा अन्‍य प्राधिकरणों द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुपालन में किए जाने वाले निरीक्षणों से संबंधित रिपोर्टें समुचित आदेशों के लिए संबंधित अधिकरण अथवा न्‍यायालय अथवा अन्‍य प्राधिकरणों को प्रस्‍तुत की जाती हैं और इन्‍हें सामान्‍यत: वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया जाता है ।

\*\*\*\*\*\*